न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 34/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
पाबूदान पुत्र नवला जाति राईका निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर		1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर जिला पाली 2 मिरगा पत्नि हरलाल कौम राईका निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिममतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 19.12.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सबलपुरा तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1067 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सबलपुरा के खसरा नम्बर 16 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नमबर 130 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 133 रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 40 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 48 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 138 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 141 रकबा 55 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नमबर 143 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा कुल खसरा 13 जिसका कुल रकबा 333 बीघा 1 बिस्वा की भूमि हरलाल पुत्र नवला एवं पाबूदान पुत्र नवला कौम राईका सहित अन्य सह खातेदारान् की खातेदारी भूमि थी। इस भूमि में अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के भाई का 1/11वां हिस्सा है। अपीलाण्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्र मदनलाल पुत्र हरीलाल द्वारा पेंशन करवाने का कह कर तहसील कार्यालय रायपुर लेकर गया तथा एक स्टाम्प पर अपीलाण्ट के अंगुष्ठ निशान करवाये एवं उक्त स्टाम्प को नोटेरी से तस्दीक किया गया। उसके पश्चात मदनलाल ने अपनी मौ के नाम रजिस्ट्री करवा दी। उस रजिस्ट्री के आधार पर हल्का पटवारी ने तारीख 1/6 लिखते हुए नामान्तरकरण दायर किया एवं बेचान का उल्लेख दिनांक 20.05.2016 का किया, किन्तु तहसीलदार रायपुर एवं भू0अ0नि0 कोट किरणा द्वारा दिनांक 20.05.2016 को जांच की जाकर उसकी दिनांक को स्वीकृत किया। जबकि दिनांक 20.05.2016 को रजिस्ट्री हुई थी, उसी दिनांक को रजिस्ट्री की प्रति लौटाया जाना सम्भव ही नही थी तथा न ही

अति. जिला कलक्टर, पाली

नामान्तरकरण दायर किया जाना सम्भव था। इसके पश्चात नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.06.2016 को दायर किया गया, किन्तु भू0अ0नि0 एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित करते हुए में नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, जो गैर कानूनी है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि स्वयं अपीलाण्ट द्वारा मदनलाल के पक्ष में आम मुख्तियारनामा निष्पादित किया है तथा उस आम मुख्तियारनामा के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि विक्रय की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रकरण में सद्भावी क्रेता है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि अपनी पुत्री कन्या को वसीयत करना जाहिर किया है, जबकि अपीलाण्ट स्वयं जीवित है तथा वसीयत का यह सिद्धान्त है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही वसीयत प्रभाव में आती है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा की गई तथाकथित वसीयत आज शून्य प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण विधिवत रूप से स्वीकार किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम सबलपुरा का नामान्तरकरण संख्या 1067 रजिस्टर्ड बेचाननामा 20.05.2016 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दायर किया गया है तथा अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 01.06 अंकित की है। इस पर भू0अ0नि0 द्वारा जांच की गई तथा दिनांक 20.05.2016 अंकित की, उसी अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा भी दिनांक 20.05.2016 को ही उक्त नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद इस कारण प्रतीत होता है, क्योंकि जिस दस्तावेज के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया, वह दस्तावेज दिनांक 20.05.2016 को निष्पादित हुआ है तथा उसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा तथाकथित रूप से दिनांक 01.06.2016 को नामान्तरकरण दायर किया है, जबकि भू0अ0नि0 एवं तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर जांच एवं स्वीकृति के जो आदेश पारित किये गए, वे जांच/आदेश दिनांक 20.05.2016 को अंकित किया गया है। उक्त दोनो ही तथ्य विरोधाभाषी है। चूंकि दिनांक 20.05.2016 को नामान्तरकरण दायर ही नही किया गया, तो भू0अ0नि0 एवं तहसीलदार रायपुर जांच एवं स्वीकृति आदेश पारित किये जाने का प्रश्न ही प्रकट नही होता। हालांकि जैर अपील नामान्तरकरण पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दायर किया गया है। प्रकरण में कानूनी स्थिति यह बनती है कि क्या पंजिबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से Discredit करवाये बिना उक्त दस्तावेज के आधार पर दायर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित है अथवा नही ? इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि पंजिबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से Discredit करवाये बिना उक्त दस्तावेज के आधार पर दायर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना न्यायोचित नही है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण की प्रक्रिया एवं वैधानिकता को जांचा एवं परखा जाना है। चूंकि जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह निर्विवादित रूप से अनुचित है, जिसके कारण अपील की प्रक्रिया दूषित पाई जाती है। इस प्रकार से पारित आदेश को कायम रखना न केवल अनियमितता को बढावा देना होगा, अपितु अनुचित कार्यवाही को बल मिलेगा, जिसे रोका जाना नितान्त आवश्यक है तथा इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति से रोकने हेतु सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जानी आवश्यक प्रतीत होती है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इस हेतु जैर अपील नामान्तरकरण की जांच/स्वीकृति आदेश पारित करने में सम्बद्ध तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के नियम 17 तहत कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर (भू0अ0) एवं संस्थापन को लिखा जावे।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम सबलपुरा तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1067 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 20.05.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार रायपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दस्तावेजात की जांच कर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली